

**DR. UTTAM KUMAR**

**DEPARTMENT OF COMMERCE**

**Class -UG Fourth Semester**

**Session -2023-27**

**Paper -MJC-6**

**Subject -Income -Tax**

**Mob -8210561032**

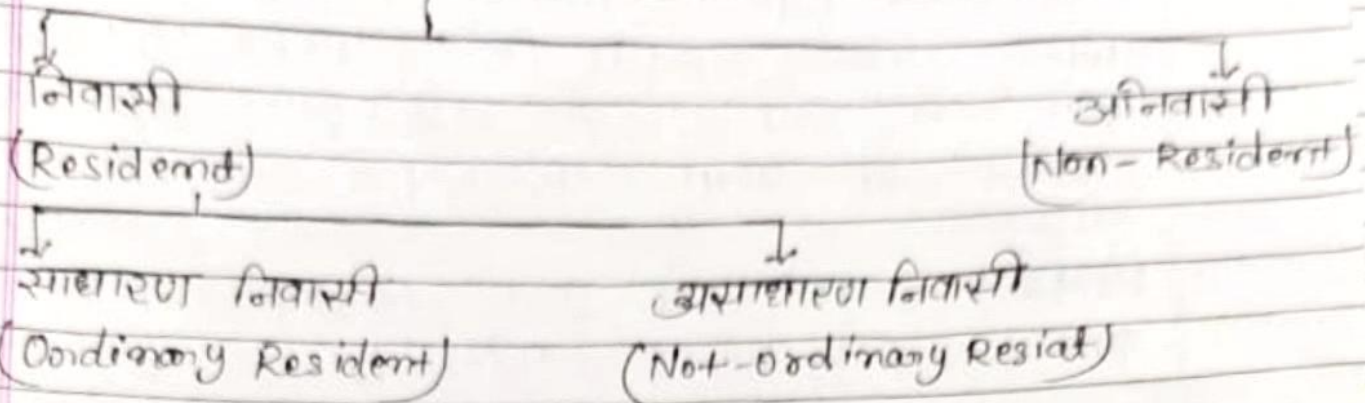
*"Education is the power for being a good  
human being"*



# Individual and tax Liability

Page No.   
 Date: / /

## Indirect (U/s 60)



कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी होगा उसके निम्नलिखित दो प्राप्ति होते हैं जिसमें से किसी एक प्राप्ति को पूरा करना होता है वित्तीय वर्ष में भारत का निवासी होने के लिए।

(1) पिछले वर्ष में कम से कम 182 दिन उसे भारत में रहना पड़ेगा।

(2) उसे पिछले वर्ष में कम से कम 60 दिन और उससे पिछले 4 वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहना पड़ेगा।

अपवाद :- यदि कोई व्यक्ति विदेश से भारत वापस आता है या भारत से कोई व्यक्ति विदेश नौकरी के उद्देश्य से जाता है तब उसे सिर्फ प्राप्ति का पालन करना पड़ता है।

भारत के निवासी को आश्वारण निवासी होने के लिए निम्नातिवित १० साल का पालन करना पड़ता है यदि न १० सालों में उसे दो वर्ष पूर्ण रूप से भारत में रहना पड़ेगा।

पिछले ३ वर्षों में कुल मिलाकर ३२५ दिन भारत में रहना पड़ेगा।

### Individual & tax Liabilities

| Particulars                                          | Resident |     |     |
|------------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| (1) भारत में आय, जो भारत या बाहर कहीं भी प्राप्त हो। | XXX      | XXX | XXX |
| (2) विदेश में आय जो भारत में प्राप्त हो।             | XXX      | XXX | XXX |
| (3) विदेश में प्राप्त आय जिसका संचालन भारत से।       | XXX      | XXX | Nil |
| (4) विदेश में आय और विदेश में ही प्राप्त हो।         | XXX      | Nil | Nil |

Exempted Income (कर मुक्त आय)  
 भारत के कृषि से आय  
 भारत के बैंकों से प्राप्त लाभांश

Post office saving Certificate

NHI = National highway Authority of India  
 Income from NTPC = National thermal Power Corporation

Post office five year, Six year, seven year

Income from PPF → Public Provident fund

विदेशी नागरिक को भारत का साधारण निवासी होने के लिए अनिवार्य दो शर्तों में से एक पूरा करना होगा।

Profit from partnership firm profit on Share on business.